

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी  
चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क-606 / 11

संस्थित दिनांक- 21.12.11

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा  
आरक्षी केन्द्र पिपरई  
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

**विरुद्ध**

अमान सिंह पुत्र गोपीलाल लोधी  
उम्र 38 साल निवासी- ग्राम आकेत  
थाना पिपरई जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्त

**-: निर्णय :-**

**(आज दिनांक 10.08.2017 को घोषित)**

- 01-अभियुक्त के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 279, 337, 338 एवं मोटर यान अधिनियम की धारा 146/196, 39/192, 134/187 के तहत दण्डनीय अपराध के यह आरोप हैं कि उसने दिनांक 16.10.11 को समय 19:30 बजे ग्राम देरासा बगिया पिपरई के बीच आम रोड के पास आयसर 312 सुपर डी0 आई0 टैक्टर को बिना बीमा व रजिस्ट्रेशन के तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुये उक्त कृत्य से आहत अशोक को घोर उपहति एवं सुरेश व राजेंद्र को साधारण उपहति कारित की तथा मौके पर आहत व्यक्तियों के लिये चिकित्सीय मदद प्राप्त करने के लिये समुचित कदम उठाने के अपेक्षा मौके से भाग गया।
- 02-अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि उसने दिनांक 16.10.11 को फरियादी कृष्णपाल अपने टैक्टर क्रमांक एम0पी0 08 ए0ए0 0910 से पिपरई से बेरुस जा रहा था, पिपरई से कुछ लोग उसी के गांव के अशोक, राजेंद्र एवं सुरेश बगैरह टॉली में बैठ गये। कृष्णपाल का टैक्टर जैसे ही पिपरई देरासा बगिया के बीच पुलिया के पास पहुंचा सामने से देरासा बगिया तरफ से आयसर

टैक्टर तेज व लापरवाही से चलता आया और कृष्णपाल की टॉली में टक्कर मार दी, और पिपरई के तरफ भाग गया। टॉली में बैठे अशोक के दाहिने पैर के पंजा, टकना के पास चोट आयी खून निकल आया। राजेंद्र व सुरेश के हाथों में हल्की चोटें आयी। अशोक को अस्पताल छोड़कर व राजेंद्र व सुरेश के साथ कृष्णपाल करीब 07:30 बजे पुलिस थाना पिपरई में अभियुक्त के विरुद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस थाना पिपरई के अपराध क्रमांक-255/11 अंतर्गत धारा-279, 337, 338 भा0द0वि0 एवं 146/196, 39/192, 134/187 मोटरव्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03—प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक-20.07.2017 को फरियादी कृष्णपाल सहित आहत राजाबेटी, अशोक, सुरेश एवं राजेंद्र द्वारा अभियुक्त से राजीनामा करने बाबत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) व 320 (8) दप्रस के प्रस्तुत किये गये जिन्हें स्वीकार करते हुये अभियुक्त को भादवि की धारा 337, 338 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया। अभियुक्त पर आरोपित भा0द0वि0 की धारा 279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196, 39/192, 134/187 शमनीय प्रकृति की न होने से उक्त धारा के तहत अभियुक्त पर विचारण किया गया।

04—अभियुक्त को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

05—प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

|    |   |
|----|---|
| 1. | क्या अभियुक्त ने दिनांक 16.10.11 को समय 19:30 बजे ग्राम देरासा बगिया पिपरई के बीच आम रोड के पास आयसर 312 सुपर डी0 आई0 टैक्टर को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ? |
| 2. | क्या उक्त दिनांक समय व स्थान पर अभियुक्त ने आयसर 312 सुपर डी0 आई0 टैक्टर को लोक मार्ग पर बिना वाहन का रजिस्ट्रेशन होते हुये चलाया ?   |

|    |   |
|----|---|
| 3. | क्या उक्त दिनांक समय व स्थान पर अभियुक्त ने आयसर 312 सुपर डी0 आई0 टैक्टर को लोक मार्ग पर बिना वाहन का बीमा होते हुये चलाया ?                                |
| 4. | क्या उक्त दिनांक समय व स्थान पर अभियुक्त मौके पर आहत व्यक्तियों के लिये चिकित्सीय मदद प्राप्त करने के लिये समुचित कदम उठाने के अपेक्षा मौके से भाग गया था ? |
| 5. | दोष सिद्धि व दोष मुक्ति ?   |

### —:: सकारण निष्कर्ष ::—

#### विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 का विवेचन एवं निष्कर्ष:—

- 06— अभियोजन की ओर से प्रकरण में अपने समर्थन में फरियादी कृष्णपाल (अ0सा0—1) सहित घटना में आहत राजाबेटी (अ0सा0—2), सुरेश (अ0सा0—3), राजेंद्र (अ0सा0—4) व अशोक (अ0सा0—5) के कथन घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के रूप में न्यायालय में कराये गये हैं। उपरोक्त साक्षियों में से अभियोजन कहानी के अनुसार घटना में आहत सुरेश (अ0सा0—3) व राजेंद्र (अ0सा0—4) ने अपने न्यायालीन कथनों में घटना की जानकारी होने से इन्कार किया है। इन दोनों ही साक्षियों का कहना है कि उन्हें घटना की जानकारी नहीं है तथा उन्होंने इस संबंध में पुलिस को भी कोई बयान नहीं दिये।
- 07— सुरेश (अ0सा0—3) व राजेंद्र (अ0सा0—4) के द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने के कारण उन्हें पक्षविरोधी कर अभियोजन के द्वारा उनका विस्तृत परीक्षण किया गया, परन्तु इन दोनों ही साक्षियों ने अभियोजन का लेषमात्र भी समर्थन नहीं किया। इन दोनों ही साक्षियों का अपने परीक्षण में यह कहना है कि उन्होंने ने पुलिस को न तो कोई बयान दिया और न उनके सामने कोई घटना हुयी। अतः सुरेश (अ0सा0—3) व राजेंद्र (अ0सा0—4) जो कि अभियोजन कहानी के अनुसार घटना में आहत भी हैं के कथनों से अभियोजन कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।
- 08— फरियादी कृष्णपाल (अ0सा0—1) जिसके द्वारा घटना की रिपोर्ट लेखबद्ध करायी गयी, का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि लगभग 5—6 साल पहले रात्रि 7—8 बजे वह अपना टैक्टर ट्रॉली लेकर पिपरई से बेसरा जा रहा था, तथा उसकी ट्रॉली में कुछ लोग और बैठे थे, जिनके नाम उसे याद नहीं हैं। इस साक्षी के अनुसार देरासा बगिया से पहले एक डम्पर चालक तेजी से उसके

टैक्टर और ट्रॉली के तरफ आ रहा था तो टैक्टर और ट्रॉली कच्चे में उतर गयी और ट्रॉली टूट गयी और ट्रॉली गिरने से उसमें बैठे लोगों को मामूली चोट आयी। फरियादी के अनुसार उसने अंधेरा होने के कारण न तो डंपर का नंबर देखा और न ही यह देखा कि उसे कौन चला रहा है।

- 09— फरियादी कृष्णपाल (अ0सा0—1) की उपरोक्त कथनों को बचाव पक्ष की ओर से कोई चुनौती नहीं दी गयी। फरियादी के द्वारा प्रकरण में प्रदर्श—पी 1 की रिपोर्ट लेखबद्ध कराया जाना तथा उस पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये हैं। फरियादी के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथन की वह घटना दिनांक को टैक्टर ट्रॉली चलाकर पिपरई से बेसरा जा रहा था तथा उसकी ट्रॉली में कुछ लोग और भी बैठे थे, की पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श—पी 1 से भी होती है। फरियादी कृष्णपाल (अ0सा0—1) ने हालांकि अपने कथनों में उसके साथ जा रहा लोगों के नाम नहीं बताये हैं तथा टैक्टर ट्रॉली में राजाबेटी (अ0सा0—2), सुरेश (अ0सा0—3), राजेंद्र (अ0सा0—4) व अशोक (अ0सा0—5) बैठे थे, इसका ध्यान न होना बताया है।
- 10— राजा बेटी (अ0सा0—2) ने व अशोक (अ0सा0—5) ने अपने कथनों में इस बात की पुष्टि की है कि वह घटना दिनांक को रात्रि 7—8 बजे के समय फरियादी कृष्णपाल (अ0सा0—1) के साथ टैक्टर ट्रॉली में बैठ कर पिपरई से बेसरा जा रहे थे। राजाबेटी (अ0सा0—2) व अशोक (अ0सा0—5) के उपरोक्त कथनों को बचाव पक्ष की ओर से कोई चुनौती नहीं दी गयी। अतः ऐसे में अभिलेख पर इस आशय की अखण्डित साक्ष्य उपलब्ध है कि घटना दिनांक को शाम 7—8 बजे के समय राजाबेटी (अ0सा0—2) व अशोक (अ0सा0—5), कृष्णपाल (अ0सा0—1) के साथ उसके टैक्टर ट्रॉली में बैठ कर पिपरई से ग्राम बेसरा जा रहे थे। जिससे यह प्रमाणित होता है कि घटना के पूर्व कृष्णपाल असा 1 अपने टैक्टर ट्रॉली में राजाबेटी (अ0सा0—2) व अशोक (अ0सा0—5) को बैठाकर पिपरई से ग्राम बेसरा जा रहा था।
- 11— अभियोजन कहानी के अनुसार देरासा बगिया के पहले अभियुक्त अपने आयशर टैक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया था और फरियादी के टैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी थीं। इस घटना का फरियादी कृष्णपाल (अ0सा0—1) सहित राजाबेटी (अ0सा0—2) व अशोक (अ0सा0—5) ने अपने न्यायालीन कथनों में लेषमात्र भी समर्थन नहीं किया। फरियादी कृष्णपाल (अ0सा0—1) का अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन घटना के विपरीत कहना है कि घटना किसी डंपर की तेजी व लापरवाही से चलाकर लाने के कारण टैक्टर ट्रॉली कच्चे में उतर जाने के कारण हुई थी। अतः फरियादी के अनुसार उसके टैक्टर ट्रॉली

को किसी अन्य टैक्टर ट्रॉली ने टक्कर नहीं मारी थी। बल्कि डम्पर को तेजी से अपनी ओर आते देखकर उसने टैक्टर ट्रॉली को स्वयं ही कच्चे में उतार दिया था, जिससे ट्रॉली अलग हो गयी थी।

- 12— फरियादी कृष्णपाल (अ0सा0—1) के कथनों के समर्थन में राजाबेटी (अ0सा0—2) व अशोक (अ0सा0—5) का भी कहना है कि देरासा बगिया से पहले उनकी टैक्टर ट्रॉली कच्चे में उतर कर अलग हो गयी थीं। जिससे घटना में अशोक के पैर में चोट आयी थी। राजाबेटी (अ0सा0—2) व अशोक (अ0सा0—5) का कही भी यह कहना नहीं है कि किसी टैक्टर चालक ने उनके टैक्टर ट्रॉली में टक्कर मारी थी। फरियादी कृष्णपाल (अ0सा0—1) ने अपने न्यायालीन कथनों में एक ओर जहां डम्पर के तेजी से आने पर टैक्टर ट्रॉली के कच्चे में उतर जाने के कारण घटना घटित होना बताया है, वहीं इस साक्षी को पक्षविरोधी किये जाने के बाद किये गये परीक्षण में इस साक्षी ने इस बात का स्पष्ट खण्डन किया है कि आयशर टैक्टर चालक ने उसके टैक्टर ट्रॉली में टक्कर मारी थीं। फरियादी का स्पष्ट कहना है कि न तो उसने रिपोर्ट प्रदर्श—पी 1 में ऐसी कोई घटना लेख करायी और न ही इस संबंध पुलिस को कोई बयान दिये। राजाबेटी (अ0सा0—2) व अशोक (अ0सा0—5) ने भी अपने अपने कथनों में इस बात का स्पष्ट खण्डन किया है कि आयशर टैक्टर चालक ने उनके टैक्टर ट्रॉली में टक्कर मारी थीं। राजाबेटी (अ0सा0—2) व अशोक (अ0सा0—5) भी इस संबंध में पुलिस को कोई बयान न देना बताते हैं।
- 13— फरियादी कृष्णपाल (अ0सा0—1) सहित राजाबेटी (अ0सा0—2) व अशोक (अ0सा0—5) के कथनों से यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक को किसी आयशर टैक्टर चालक के द्वारा उनके टैक्टर ट्रॉली में टक्कर मारने के कारण घटना घटित हुई थी। यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में दर्ज करायी गयी रिपोर्ट प्रदर्श—पी 1 अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध लेखबद्ध करायी गयी थीं, जिससे स्पष्ट है कि मौके पर अभियुक्त के द्वारा घटना कारित की गयी, यह घटना के समय किसी व्यक्ति ने नहीं देखा था। फरियादी कृष्णपाल (अ0सा0—1) सहित अन्य किसी भी साक्षी का अपने न्यायालीन कथनों में यह कहना नहीं है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक को घटना कारित की थी।
- 14— प्रकरण में अभियुक्त को अभियोजित करने का मुख्य आधार राजाबेटी (अ0सा0—2) के द्वारा पुलिस को दिये गये कथन हैं जिसके अनुसार किसी सुखनंदन नामक व्यक्ति ने उसे उसके पति का इलाज कराने के लिये 2500 /— रुपये दिये थे और रिपोर्ट न करने का कहा था। वहीं अभियोजन के अनुसार फरियादी के द्वारा भी अपने कथनों में अभियुक्त के द्वारा घटना कारित

करने की जानकारी प्राप्त होना बताया हैं, परन्तु यहा यह उल्लेखनीय है कि फरियादी कृष्णपाल सहित राजाबेटी (अ0सा0-2) ने ऐसे कोई कथन अभियुक्त के विरुद्ध देने से इन्कार किया है। इन दोनो ही साक्षियों का यह कहना है कि उन्होने पुलिस को ऐसे कोई कथन नहीं दिये कि सुखनंदन नामक व्यक्ति ने अशोक का इलाज कराने के लिये राजाबेटी से संपर्क किया था और 2500 रुपये दिये थे।

- 15- अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि घटना दिनांक को किसी आयशर टैक्टर ने तेजी व लापरवाही से चलाकर फरियादी के टैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार कर घटना कारित की और उक्त आयशर टैक्टर को अभियुक्त चला रहा था, इस आशय की कोई साक्ष्य अभियोजन के समर्थन में अभिलेख पर नहीं है। फरियादी कृष्णपाल (अ0सा0-1) सहित घटना में आहत राजाबेटी (अ0सा0-2), सुरेश (अ0सा0-3), राजेंद्र (अ0सा0-4) व अशोक (अ0सा0-5) के द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन न करने के कारण अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल नहीं हुआ है कि अभियुक्त ने दिनांक 16.10.11 को समय 19:30 बजे ग्राम देरासा बगिया पिपरई के बीच आम रोड के पास आयसर 312 सुपर डी0 आई0 टैक्टर को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया।

#### विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2, 3, 4 व 5 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

- 16- अभिलेख पर आयी साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त के द्वारा घटना दिनांक 16.10.11 को समय 19:30 बजे ग्राम देरासा बगिया पिपरई के बीच आम रोड के पास आयसर 312 सुपर डी0 आई0 टैक्टर को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाया था। घटना स्थल पर जहां अभियुक्त की उपस्थिति प्रमाणित नहीं हैं तथा यह भी प्रमाणित नहीं है कि घटना प्रकरण में जप्तशुदा टैक्टर और ट्रॉली से ही कारित हुयी थी। अतः ऐसे में यदि यह मान भी लिया जावे कि जप्त शुदा टैक्टर और ट्रॉली का बीमा और रजिस्ट्रेशन घटना दिनांक को नहीं था, तब भी चूंकि उक्त टैक्टर और ट्रॉली को अभियुक्त के द्वारा लोक मार्ग पर चलाया जाना प्रमाणित करने के लिये अभिलेख पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं, जिसके आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक 16.10.11 को समय 19:30 बजे ग्राम देरासा बगिया पिपरई के बीच आम रोड के पास आयसर 312 सुपर डी0 आई0 टैक्टर को बिना बीमा व रजिस्ट्रेशन के चलाया।
- 17- घटना दिनांक को घटना स्थल पर अभियुक्त की उपस्थिति एवं उसके द्वारा घटना कारित किया जाना प्रमाणित नहीं हैं। अतः ऐसे में जिस व्यक्ति की

घटना स्थल पर उपस्थिति एवं उसके द्वारा घटना कारित किया जाना प्रमाणित नहीं है वहां उसके विरुद्ध यह आरोप भी साबित नहीं होते हैं कि वह मौके पर आहत व्यक्तियों के लिये चिकित्सीय मदद प्राप्त करने के लिये समुचित कदम उठाने के अपेक्षा मौके से भाग गया था।

18—फलस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह साबित करने में पूरी तरफ से असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 16.10.11 को समय 19:30 बजे ग्राम देरासा बगिया पिपरई के बीच आम रोड के पास आयसर 312 सुपर डी0 आई0 टैक्टर को बिना बीमा व रजिस्ट्रेशन के तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा साथ ही अभियोजन यह भी साबित नहीं कर सका कि उक्त दिनांक समय व स्थान पर अभियुक्त मौके पर आहत व्यक्तियों के लिये चिकित्सीय मदद प्राप्त करने के लिये समुचित कदम उठाने के अपेक्षा मौके से भागा था।

19—फलतः अभियुक्त अमान सिंह पुत्र गोपीलाल लोधी के विरुद्ध भादवि की धारा 279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196, 39/192 एवं 134/187 के आरोप प्रमाणित न होने से उसे भा0द0वि0 की धारा 279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196, 39/192 एवं 134/187 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है।

20—अभियुक्त अमान सिंह पुत्र गोपीलाल लोधी के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। धारा 428 दप्रस का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा वाहन टैक्टर व ट्रॉली पूर्व से न्यायालय के आदेश के पालन में वास्तविक पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी पर है। सुपुर्दगीनामा अपील अवधि उपरांत एवं अपील न होने की दशा में भारमुक्त संमझा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत  
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

